REGD. No. D. L.-33002/99

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-13042023-245128 SG-DL-E-13042023-245128

असाधारण **EXTRAORDINARY**

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]

दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 12, 2023/चैत्र 22, 1945

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 13

DELHI, WEDNESDAY, APRIL 12, 2023/CHAITRA 22, 1945 No. 125]

IN. C. T. D. No. 13

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (सामान्य) विभाग अधिसूचना दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023

सं. फा. 9/98/2019/गृह(सा.)/972-978.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 27 / 59-एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 03 फरवरी 1997 की अधिसूचना सं. सं. फा. 9/98/96-गृह(सा.)/461 तथा दिनांक 10 मार्च 2008 की अधिसूचना सं. सं. फा. 9/47/2002/गृ.सा./(ii)/955 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने के लिए हटाई गई बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्द्वारा दिल्ली कारागार विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II), पद हेत् निम्नानुसार भर्ती नियम बनाते है, अर्थात् :--

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.-(1) इन नियमों को दिल्ली कारागार, स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II), भर्ती नियमावली, २०२३ कहा जायेगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

पदों की संख्या, वगीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर. – उक्त पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन 2. मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि.—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

- 4. अयोग्यता.—वह व्यक्ति,
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की

है या

(ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।
- 6. बचाव.—इन नियमों में किसी उल्लेख से केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

			अनुसूची
1.	पदनाम	:	स्टाफ कार चालक (ग्रेड—II)
2.	पदों की संख्या		17*(2022)
			*कुल (58) स्वीकृत पदो का 30%
3.	वर्गीकरण	1:	
4.	वेतन मैद्रिक्स में स्तर	1	
5.	क्या चयन मैरिट से अथवा चयन सह	:	गैर चयन
	वरिष्ठता अथवा गैर चयन पद है		11, 441
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए	:	लागू नहीं
	आयु सीमा		
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से	:	लागू नहीं
	अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं		
0	THE TOOL OF THE COLUMN	2	
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारां के	:	लागू नहीं
	लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु. सीमा पदोन्नति वाले		
	आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।		
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है		0:
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या	<u>:</u>	लागू नहीं
10.	पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/	•	100% पदोन्नित द्वारा
	पदोन्नति / समावेशन तथा विभिन्न		
	पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त		
	पदों का प्रतिशत		
11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/	:	पदोन्नति:-
	समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो		सामान्य ग्रेड में 08 (आट) वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन
	ग्रेड जिनसे पदोन्नति/		मैट्रिक्स के स्तर—2 में, 19900—63,200/—रुपये में स्टाफ
	प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना		कार चालक सामान्य ग्रेड से तथा परिवहन विभाग राष्ट्रीय
	है		राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित उपयुक्त मानक
			का ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में से।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति	:	समूह ''ग'' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति तथा

3

[PART IV

	हो तो इसकी संरचना क्या है।		स्थायीकरण पर विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव /सचिव (ऊर्जा)— अध्यक्ष 2. संबंधित विभागाध्यक्ष —सदस्य 3. उप—सचिव (वित्त) —सदस्य	
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	•	लागू नहीं	

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से और उनके नाम पर,

राजीव कुमार त्यागी, उप सचिव (गृह)

टीप : मूल अधिसूचना दिनांक 03.02.1997 की सं. फा. 9/98/96-गृह(सा0)/461 के द्वारा अधिसूचित की गई थी तथा बाद में निम्नानुसार संशोधित की गई:-

(1e	। बाद न मिलानुसार संसामक रहे हैं	Paries	
क्र.सं.	फाइल संख्या	दिनाक	
1	एफ.9 / 47 / 2002 / गृ0सा0 / (ii) / 955	10.03.2008	

HOME (GENERAL) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 11th April, 2023

No. F. 9/98/2019/Home(G)/972-978.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F.27/59-Him (i) dated, the 13th July, 1959 and in supersession of this Government's Notification No. F.9/98/96-Home (G)/461 dated 3td February, 1997 and No. F.9/47/2002/HG/(ii)/955 dated 10th March, 2008, except respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make recruitment rules for the post of STAFF CAR DRIVER (GRADE-II) in the Delhi Prisons Department, Government of National Capital Territory of Delhi, as following, namely:-

- Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Prisons Staff Car Driver (Grade-II), Recruitment Rules, 2023.
- (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.
- Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these
- Method of Recruitment, age-limit, qualification etc., .- The method of recruitment to the said posts, agelimit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.-No Person:-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to Relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and may relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and

other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

NAME OF THE POST.	OF POSTS		LEVEL IN THE PAY MATRIX.	WHETHER SELECTION BY MERIT OR SELECTION CUM SENIORITY OR NON SELECTION POST.	AGE LIMIT FOR DIRECT RECRUITS.	EDUCATIONAL AND OTHER, QUALIFICATION REQUIRED FOR DIRECT RECRUITS.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Staff Car Drivers, (Grade- II)	(2022)	Group "C"Non- Gazetted, Non- ministerial.	LEVEL 4 (Rs. 25500-Rs. 81100) in the PAY MATRIX.	Non-selection.	Not applicable	Not applicable

AGE AND EDUCATIONAL QUALIFICATIO N PRESCRIBED FOR THE DIRECT RECRUIT WILL APPLY IN THE CASE OF PROMOTEES.	PROBA	METHOD OF RECRUITMENT, WHETHER BY DIRECT RECRUITMENT OR BY DEPUTATION /PROMOTION/ABSO- RPTION AND PERCENTAGE OF VACANCIESTO BE FILLED BY VARIOUS METHODS.	IN CASE OF RECRUITMENT BY PROMOTION/DEPUTATION /ABSORPTION GRADES FROM WHICH PROMOTION/DEPUTATION / ABSORPTION TO BE MADE.	IF A DEPART- MENTAL PROMOTION COMMITTEE EXISTS WHAT IS ITS COMPOSI- TION.	CIRCUMSTAN CES IN WHICH UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION TO BE CONSULTED IN MAKING RECRUIT- MENT.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not appli- cable.			Group 'C' DPC (for consideration promotion and confirmation): consisting of: 1. Pr. Secretary /Secretary (Power) -Chairperson 2. Head of the Department concerned -Member	Not applicable.

115/c

PART IV

DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY

5

3. Dy.
Secretary
(Finance)
- Member

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, RAJEEV KUMAR TYAGI, Dy. Secy. (Home)

Note: The Principal Notification was notified vide No. F.9/98/96-Home (G)/461 dated 03.02.1997 and subsequently amended as under:-

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA DIGITAL DIGITAL COLUMN ACCESS AND ACCESS A